सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 140/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–18.07.2023

GCMS ID–2023/115

उनवान

1. गोपी आ0 जयराम जाति गुर्जर निवासी पानीढाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. हजारा आ0 जयराम जाति गुर्जर निवासी पानीढाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर आ0 भूरा जाति गुर्जर निवासी पानीढाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थीगण :– श्री विजय माहेश्वरी

आदेश

दिनांक : 19.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि खाता संख्या 28 के खसरा संख्या 149 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा संख्या 150 रकंबा 0.5585 हैक्टेयर, खसरा संख्या 152 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 155 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 156 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 161 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, खसरा संख्या 162 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 164 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 168 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 169 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, खसरा संख्या 170 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 171 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 392 रकबा 1.4973 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल रकबा 4.3787 हैक्टेयर वाके ग्राम कराडखेडी पटवार मण्डल चतरंगज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, इसके अलावा खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 154 रकबा 0.0890 वाके ग्राम कराडखेडी पटवार हल्का चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। खाता संख्या 28 के खातेदार प्रार्थी 1 और 4 एवं उनकी माता चंदुबाई अंकित है। चंदुबाई का स्वर्गवास हो चुका है उसके वारिसान प्रार्थीगण ही है। खाता संख्या 29 में भी प्रार्थीगण उपरोक्त प्रकार से खातेदार है। खाता संख्या 28 में अप्रार्थी संख्या 1, 1/2 हिससे का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हिस्सेदार है और खाता संख्या 29 में भी सहखातेदार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी अभी संयुक्त है विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है आपसी सहमति से पक्षकार अपनी–अपनी भूमि काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण उक्त भूमियों में से खसरा संख्या 165, 164 व अन्य भूमियों को आपसी सहमति से जो रहे है। अप्रार्थी छीतर लाल खसरा संख्या 162, 168, 169 में बैठा हुआ है। पूर्वजों के समय से ही प्रार्थीगण खसरा संख्या 154 के चाह तक 168 व 67 के बीच की मेयर पर होते हुये 169 व 162 व 161 में होते हुए अपने सहमति के काश्त कर रहे खेतों पर आते जाते रहे है। अप्रार्थी छीतर के मन में बदनियति आ गई है और उसने खसरा संख्या 162 में मकान आदि निर्माण कर लिया है और पूर्व से चले आ रहे आने जाने के रास्ते से नहीं आने दे रहा है। काटने वाले कुत्ते रास्ते में बांध दिये है इस कारण प्रार्थीगण का अपने कब्जे काश्त के खेतों पर आ जाकर काश्तकारी कार्य को अंजाम देना मुश्किल हो गया है। प्रार्थीगण का अपने कब्जे काश्त के खेतों पर पहुचने के लिए स्वयं के खाते के खेतों में से ही रास्ता कायम कराना है ताकि भविष्य में काई रास्ते के बाबत परेशानी न हो। प्रार्थीगण खसरा संख्या 150 जो 166 के सहारे है में होते हुए खसरा संख्या 165 के सहारे व 164 में होते हुये, 154 तक 12 फुट चोडा रास्ता कायम कराना चाहते है उसका नजरी नक्शा सलंग्न है। ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। भूमिया अभी संयुक्त है संयुक्त रूप से जो भूमि काम आयेगी उसमें अपने हिस्से अनुसार डीएलसी दर से राशि अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी छीतर द्वारा उपरोक्त पूर्वजों के समय से आने जाने के रास्ते में अवरोध पैदा करने पर खसरा संख्या 150 में होते हुए रास्ता कायम कराने को निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी छीतर इंकार हो गया अंतिम बार 05.06.2023 को कहा और इंकार हो गया यही वाद कारण है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संयुक्त खाते की भूमि में आने जाने हेतु सहखातेदारों के मध्य रास्ता रखे जाने का प्रावधान है, परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगणों से सहखातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, और नही कृषि जोत का विभाजन करवा रहा है, जिसमें संयुक्त रास्ते की घोषणा हो सके, इस कारण रास्ते की घोषणा हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 05.06.2023 से अंतिम बार रास्ता करने के लिए निवेदन करने पर अप्रार्थी छीतर द्वारा इंकार करने से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः दावा अवधि मय पेश है। भूमिया श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित है, अतः श्रीमान को यह दावा सुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित व निर्धारित न्याय शुल्क व उचित तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि खसरा संख्या 150 व 164 में होते हुए रास्ता कायम किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि खाता संख्या 29 के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण की भूमि पर व चाह पर जाने के लिए रास्ता उनके कब्जे की भूमि पर बना हुआ है। जिस स्थान पर रास्ते की घोषणा कराना चाहते है वहाँ कोई रास्ता नहीं है। चाह खसरा संख्या 154 शामलाती खाते में दर्ज है और शामलाती चाह पर पहुँचने के लिए प्रत्येक सहखातेदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के लिए अलग–अलग रास्ते की आवश्यकता नहीं है और न ही अलग–अलग रास्ता घोषित किया जा सकता है। अप्रार्थी ने उक्त शामलाती भूमि खाता संख्या 29 व 28 के लिए बंटवारे का वाद छीतर लाल बनाम गोपी इसी न्यायालय में पेश किया हुआ है, बंटवारे के बाद में शामलाती चाह पर आने जाने का रास्ता सुरक्षित रखते हुए शेष भूमि का बंटवारा किया जाना है। शामलाती भूमि पर रास्ते की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। भूमि का विधिवत बंटवारा करवाये बिना रास्ते के बाबत उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/818 दिनांक :–23.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को भूमि खाता संख्या 28 व 29 वाके ग्राम कराडखेडी में आने जाने हेतु खसरा संख्या 150 व 164 में से होते हुए रास्ता घोषित किया जावे। उक्त भूमियॉ सहखातेदारी की है, सहखातेदारों के मध्य रास्ता रखे जाने का प्रावधान है, परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को सहखातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है और न ही विभाजन करवा रहा है। इस कारण रास्ते की घोषणा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित भूमियॉ सहखातेदारी की भूमियॉ है, जिनका अभी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित भूमियों पर आने जाने हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ है। जिसका उपयोग प्रार्थीगण व अप्रार्थी कर रहे है। अप्रार्थी द्वारा बंटवारे बाबत वाद इसी न्यायालय में पेश किया हुआ है। जिसमें शामलाती भूमियों में आने जाने हेतु रास्ता सुरक्षित रखते हुए बंटवारा किया जाना है। पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता होने व सहखातेदारों के मध्य धारा 251आ0टी0एक्ट में रास्ता घोषित करवाने का प्रावधान नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारित किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में अंकित भूमि खाता संख्या 28 व 29 जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 29 व खाता संख्या 28 के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सहखातेदारी की भूमि में स्थित चाह पर आने जाने हेतु रास्ते की घोषणा बाबत पेश किया है। सहखातेदारी की भूमि में पृथक से किसी भी सहखातेदार को रास्ता दिए जाने का प्रावधान धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत नहीं है। कोई सह खातेदार अपनी सहखातेदारी भूमियों में आने जाने हेतु रास्ता सुरक्षित रखवाने हेतु बंटवारे बाबत वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली